संशोधित

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4
संख्या–3 / 2026 / बी–4–480 / दस–2026
लखनऊः दिनांक 04 जून, 2026

विषयः राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि / जमा हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ब्याज दर का निर्धारण।

लेखाशीर्ष ''8336–सिविल जमा–103–राज्य प्रतिपरक वनीकरण जमा'' तथा लेखाशीर्ष ''8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ–129–राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि'' हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 3.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज का आगणन वार्षिक आधार पर किया जायेगा।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या–3 / 2026 / बी–4–480(1) / दस–2026, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, प्रयागराज।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।